झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1082 वर्ष 2017

अपने सचिव के माध्यम से भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के माध्यम से झारखण्ड राज्य

2. प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, झारखण्ड सरकार

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार

4. आयुक्त और सचिव, प्राथमिक मासध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

5. शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद्, पूर्वी क्षेत्रीय समिति अपने क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से

6. झारखण्ड अकादमिक परिषद् अपने सचिव के माध्यम से

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री अमित कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री अक्षय महातो, वरिष्ठ एस0सी0–I के जे0सी0

उत्तरदाता–एन0सी0टी0ई0 के लिएः–श्री पी0ए0एस0 पति, अधिवक्ता

उत्तरदाता–जे0ए0सी0 के लिएः–श्री अफाक अहमद, अधिवक्ता

03 / 23.02.2017 याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता एक स्व–वित्तपोषित संस्थान है और एन0सी0टी0ई0 दिनांक 29.06. 2012 के पत्र जिसमें वार्षिक प्रवेश निर्धारित है, द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद वर्ष 2012 से बी0एड0 पाठ्यक्रम चला रहा है। एन0सी0टी0ई0 (मान्यता, मानदंड और प्रक्रियाएं) विनियम, 2014 दिनांक 01.12.2014 के संदर्भ में, याचिकाकर्ता ने भी शैक्षणिक सत्र 2017–19 (अनुलग्नक 7 श्रृंखला) के लिए डी0ई0एल0एड0 पाठ्यक्रम के लिए अंतिम तिथि 30.06.2016 से पहले आवेदन किया था। झारखण्ड सरकार ने 31.05.2016 को याचिकाकर्ता कॉलेज को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया (अनुलग्नक–5)।

3. याचिकाकर्ता ने झारखण्ड अकादमिक परिषद् दिनांक 03.02.2017 (अनुलग्नक–6 श्रृंखला का हिस्सा) द्वारा आर0टी0आई0 के तहत प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तर्क दिया कि झारखण्ड अकादमिक परिषद् एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त करने वाला संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए एक संबद्ध निकाय नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संचार दिनांक 03.02.2017 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की जा सकती है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माँ बैष्णो देवी महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2013) 2 एस0सी0सी0 617] में पारित आदेशों के संदर्भ में दिनांक 30.06. 2016 की विस्तारित समय सीमा तक हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद, एन0सी0टी0ई0 ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है, हालांकि इसस तरह के निर्णय लेने की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2017 है। इसलिए याचिकाकर्ता को निवारण के

लिए इस न्यायालय में आने के लिए मजबूर किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी एन0सी0टी0ई0 को शैक्षणिक सत्र 2017–19 के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा की मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पर कट–ऑफ तिथि 03 मार्च, 2017 से सपहले सबसे कम संभव समय के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है।

4. प्रतिवादी झारखण्ड शैक्षणिक परिषद् के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 03.02.2017 के पत्र, जो अनुलग्नक–6 श्रृंखला के भाग के रूप में संलग्न है, के आधार पर प्रस्तुत किया है कि झारखण्ड शैक्षणिक परिषद् एक संबद्ध निकाय नहीं है, जहाँ तक एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त करने वाले संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का संबंध है, जब तक कि एन0सी0टी0ई0 द्वारा अलग से अनुरोध किया जातात है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का शक्ति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पास है।

5. एन0सी0टी0ई0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि मामला दो दिन पहले दायर किया गया है, इसलिए अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए। यदि याचिकाकर्ता ने एन0सी0टी0ई0 के समक्ष ऐसे पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि के भीतर निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन किया है, तो उस पर 3 मार्च, 2017 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार विचार किया जाएगा, जैसा कि देवी महाविद्यालय माँ बैष्णो (ऊपर)।

6. उपरोक्त संज्ञान में आए प्रासंगिक तथ्यों और पक्षों के वकील की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इस स्तर पर, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के तर्क के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, उसके आवेदन पर प्रतिवादी एन0सी0टी0ई0 को 03.03.2017 को या उससे

पहले निर्णय लेने के लिए निर्देशस के साथ रिट याचिका का निपटारा करना उचित माना, यदि आवेदन निर्धारित प्रारूप और विनियमों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2017–19 के लिए डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम को मान्यता देने के मामले में 03.03.2017 की निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

7. रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)